राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या/1002/2013/श्रीगंगानगर

मैसर्स प्रेम कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
अनूपगढ, श्रीगंगानगर। .....अपीलार्थी

बनाम्

सहायक आयुक्त,
वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोकरणा,
उपराजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/02/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 1/आरवैट/सूरतगढ/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, बीकानेर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत् ईसी दर को 2.25 प्रतिशत मानकर आरोपित मांग राशि को यथावत रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जलप्रदाय योजनाओं के अंतर्गत आउट लेट स्थापना, निर्माण कार्य, इनलेट चैनल, स्टोरेज टैंक इत्यादि का कार्य कर सशक्त अधिकारी के समक्ष वर्ष 2009–10 के विवरण प्रपत्र वैट 11 देय कर 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क मानकर जमा कराकर दिनांक 30.09.2011 को पेश किये गये। इस पर सशक्त अधिकारी ने 2.25 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क मानकर कर का आरोपण करके कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि कर निर्धारण अधिकारी ने 1.5 प्रतिशत के स्थान पर जो 2.25 प्रतिशत की दर से कर का आरोपण किया है, वह विधि के विरूद्ध है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 25.03.2012 तक जारी समस्त कार्यादेशों के लिए मुक्ति शुल्क योजना के अनुसार विकल्प लेने पर चार श्रेणियां अधिसूचित की गई थी,

लगातार.....2

जिसके अनुसार भवन निर्माण संबंधित कार्य के लिए मुक्ति शुल्क की दर 1.5 प्रतिशत अधिसूचित थी। आगे उल्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि सशक्त अधिकारी द्वारा जो 1.5 प्रतिशत दर से कर मुक्ति शुल्क को संशोधित कर 2.25 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क का आरोपण किया है, वह विधि सम्मंत है क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो कार्य यथा आउट लेट स्थापना, निर्माण कार्य, इनलेट चैनल, स्टोरेज टैंक निर्माण किये गये है, वह स्पष्ट रूप से अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अंतर्गत आईटम संख्या 2 में न होकर आईटम संख्या 3 की श्रेणी में आते है। उन्होंने आगे अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संविदा का कार्य लेकर ठेका कार्य किया जाता है। इस बाबत् उनके द्वारा जलप्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत आउट लेट स्थापना, निर्माण कार्य, इनलेट चैनल, स्टोरेज टैंक का कार्य किया गया, एवं इस कार्य पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना F.12(63)FD/Tax/2005-80 दिनांक 11.08.2006 के अनुसार कर मुक्ति शुल्क योजना का विकल्प लिया गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा भवन निर्माण संबंधित संविदा कार्य पर 2.25 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क मानकर कर निर्धारण किया गया। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना F.12(63)FD/Tax/2005-80 दिनांक 11.08.2006 के पैरा संख्या 8 को उल्लेखित किया जाना आवश्यक है, जिसके अनुसार–

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section(3) of section8 of the rajasthan value added tax act, 2003 (act number 3 of 2003), the state forvernment being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the tegistered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract subject to the following conditions, namely :-

(8.) That the tax collected or charged, if any, by such dealer before the issue of this notification shall be deposited to the State Government and tax so deposited shall not be refunded or adjusted against the exemption fee.

LIST

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities.	0.25%
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerage system.	1.50%
3.	Works contracts relating to installation of plants and machinery including PSPO, water treatment plant, laying of pipe line with material.	2.25%
4.	Any other kind of works contract not covered by item Nos. 1, 2 and 3.	3.00%

लगातार.....3

8. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जलप्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत आउट लेट स्थापना, निर्माण कार्य, इनलेट चैनल, स्टोरेज टैंक का कार्य किया गया, इस संबंध में कि माननीय **उच्च न्यायालय ने SB civil/misc/STR No./ 107/2010 मैसर्स रमेश कुमार बंसल ठेकेदार बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, श्रीगंगानगर** में दिये गये निर्णय दिनांक 13.12.2011 में यह अभिमत प्रकट किया है कि कर निर्धारण अधिकारी को अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत् जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र (ई.सी.) में संशोधन करने का अधिकार है। इस प्रकार यदि कोई **apparent mistake on record** अर्थात् रेकॉर्ड पर परिलक्षित भूल पायी जाती है तो इसे अधिनियम की धारा 33 में संशोधन किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में भी अर्वाड्र द्वारा जारी किये गये कार्य की प्रकृति "Works contract relating to installation of plant 7 Machinery including PSPO, water treatment plant, laying of pipe line with material." पर 2.25 प्रतिशत से मुक्ति की श्रेणी में आता है, इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 22.03.2013 यथावत् रखा जाता है, एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य